

कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पराज(प्राशि) राजस्थान, बीकानेर

(ई-मेल- scholarship.ele.2013@gmail.com दुरभाष- 0151-2226563)

क्रमांक: शिविरा/प्रार./छात्रवृत्ति/3723/2024-25/

दिनांक:-

दिनांक 07.02.2025 को आयोज्य वी.सी. कार्यवाही विवरण

इस कार्यालय के पत्रांक शिविरा/प्रार./छात्रवृत्ति/3723/विविध पत्रावली/2024-25/ दिनांक 03.02.2025 के क्रम में समस्त प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं लाडो प्रोत्साहन योजना हेतु दिनांक 07.02.2025 को समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों प्रा.शि. /प्रतिनिधियों की अधोहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित की गयी। वी.सी. में अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं लाडो प्रोत्साहन योजना में बकाया पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का शत-प्रतिशत भुगतान करने हेतु निर्देश दिये गये। वी.सी. का कार्यवाही विवरण निम्नानुसार हैं।

लाडो प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत पूरे राज्य में विभिन्न जिला शिक्षा अधिकारी प्रा. शि. के अधीन काफी आवेदन भुगतान के अभाव में लम्बित हैं। पूरे राजस्थान में 5 जिले बाडमेर, जोधपुर, जयपुर, डूंगरपुर, उदयपुर जिन्होंने सत्र 2024-25 में किसी बालिका को भुगतान नहीं किया गया हैं। लाडो प्रोत्साहन योजना में भुगतान का प्रतिशत कम की स्थिति को अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा गम्भीरता से लिया जाकर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों को वित्तीय वर्ष समाप्ति से पूर्व प्राप्त पात्र आवेदनों का शत-प्रतिशत भुगतान किये जाने हेतु निर्देशित किया गया हैं। निर्देशों के क्रम में सहभागी जिला शिक्षा अधिकारी प्रा. शि. द्वारा आगामी सात दिवस में प्राप्त पात्र आवेदनों का शत-प्रतिशत भुगतान सुनिश्चित किये जाने हेतु आश्वासन प्रदान किया गया। जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा आवेदनों का बकाया होना DEO स्तर के स्थान पर PEEO स्तर पर बताया गया। अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा जिला शिक्षा अधिकारियों को पात्र आवेदन PEEO से मानक संचालन प्रक्रिया के प्रावधानों के अनुसार प्राप्त कर भुगतान करने एवं अपात्र आवेदनों को DELETE करवाने हेतु निर्देशित किया गया ताकि शाला दर्पण पर वास्तविक पात्र बालिकाओं का विवरण ही प्रदर्शित हों। वी.सी. में यह ध्यान में लाया गया है कि योजना में PEEO द्वारा दो से अधिक संतान होने पर योजना का लाभ देय नहीं होने की बाध्यता के कारण आवेदन अग्रेषित नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा अवगत करवाया गया कि शैक्षिक सत्र 2024-25 से लागू लाडो प्रोत्साहन योजना में संतान की संख्या संबंधी कोई बाध्यता नहीं है अतः सभी पात्र बालिकाओं के आवेदन अग्रेषित करावे तथा जिला स्तर पर इसकी नियमित रूप से समीक्षा करे।

अनुसूचित जाति प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के अन्तर्गत पूरे राज्य में विभिन्न जिला शिक्षा अधिकारी प्रा. शि. के अधीन कुल 1,13,989 आवेदन संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा सत्यापित उपरान्त भुगतान हेतु बकाया हैं। इस स्थिति को अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा गम्भीरता से लिया जाकर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों को कुल सत्यापित आवेदनों का आगामी सात दिवस में शत-प्रतिशत भुगतान सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया हैं।

अनुसूचित जनजाति प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के अन्तर्गत पूरे राज्य में विभिन्न जिला शिक्षा अधिकारी प्रा. शि. के अधीन कुल 1,06,957 आवेदन संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा सत्यापित उपरान्त भुगतान हेतु बकाया हैं। इस स्थिति को अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा गम्भीरता से लिया जाकर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों को कुल सत्यापित आवेदनों का आगामी सात दिवस में शत-प्रतिशत भुगतान सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया हैं।

अति पिछड़ा वर्ग प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति अन्तर्गत पूल बजट मद में शैक्षिक सत्र 2022-23 में शैक्षिक सत्र 2022-23 के अंतर्गत आवेदन राशि रु 178.51 लाख के विरुद्ध मात्र 75.41 लाख के भुगतान हेतु निर्देशित किया गया हैं। इस स्थिति को अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा गम्भीरता से लिया जाकर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों को कुल सत्यापित आवेदनों का आगामी सात दिवस में शत-प्रतिशत भुगतान सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Meena Songara
Designation : Financial Advisor
Date: 2025.02.11 11:54:34 IST

Reason: Approved

सफाई से जुड़े और स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिये वार्षिक अनुदान
अन्तर्गत पूल बजट मद में आवंटित राशि रु 29.65 लाख के विरुद्ध मात्र 5.43 लाख का भुगतान किया गया है। इस स्थिति को अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा गम्भीरता से लिया जाकर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों को कुल सत्यापित आवेदनों का आगामी सात दिवस में शत-प्रतिशत भुगतान सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

समस्त प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं लाडो प्रोत्साहन योजना के प्राप्त बकाया पात्र आवेदनों को आगामी सात दिवस में शत-प्रतिशत भुगतान करने हेतु निर्देशों के क्रम में सहभागी जिला शिक्षा अधिकारी प्रा. शि. द्वारा आश्वासन प्रदान किया गया।

बैठक कार्यवाही सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

वित्तीय सलाहकार
प्रारम्भिक शिक्षा (पंरावि) विभाग
राजस्थान, बीकानेर
दिनांक:- यथाहस्ताक्षर

क्रमांक: शिविरा/प्रार./छात्रवृत्ति/3723/2024-25/
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-
1. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रा. शि.।

वित्तीय सलाहकार
प्रारम्भिक शिक्षा (पंरावि) विभाग
राजस्थान, बीकानेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Meena Songara
Designation : Financial Advisor
Date: 2025.02.11 17:44:31 IST
Reason: Approved